न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 104 / 2022

1 किशनाराम उम्र 70 साल पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती मोहनी उम्र 69 साल स्त्री बालुराम जाति मेघवाल निवास देरवाला तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 आदूराम पुत्र नानूराम उम्र 68 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 धन्नाराम पुत्र मनसाराम उम्र 78 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 चिमनाराम पुत्र मनसाराम उम्र 66 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 रामकुमार पुत्र मनसाराम उम्र 67 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती बसंती देवी स्त्री किशनाराम उम्र 68 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7 राकेश पुत्र किशनाराम उम्र 58 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
8 राजेश पुत्र किशनाराम उम्र 54 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
9 कैलाश पुत्र किशनाराम उम्र 50 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
11 उप पंजीयक मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री
दिनांक 10.03.2021 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी मलसीसर उनवानी मुकदमा
श्रीमती मोहनी देवी बनाम किशनाराम
वगै. मु.नं. 70/2014 बाबत घोषणार्थ व
स्थाई निषेधाज्ञा

अपील संख्या 94/2019

1 किशनाराम उम्र 70 साल पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती मोहनी उम्र 69 साल स्त्री बालुराम जाति मेघवाल निवास देरवाला तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 आदूराम पुत्र नानूराम उम्र 68 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 धन्नाराम पुत्र मनसाराम उम्र 78 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 चिमनाराम पुत्र मनसाराम उम्र 66 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 रामकुमार पुत्र मनसाराम उम्र 67 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती बसंती देवी स्त्री किशनाराम उम्र 68 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7 राकेश पुत्र किशनाराम उम्र 58 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 राजेश पुत्र किशनाराम उम्र 54 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
9 कैलाश पुत्र किशनाराम उम्र 50 साल जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारण तन बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
11 उप पंजीयक मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर दावा बाबत
घोषणात्मक विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी
श्रीमती मोहनी बनाम किशनाराम वगै.

उपस्थिति :

1. श्री मुश्ताक अली खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री उम्मेद सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री मुकर्रम अंसारी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री विकास कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 70/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2019 व 10.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 111, 111/151, 124, 125, 125/155, 126, 127 वाके ग्राम ढाणी चारण का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट मोहनी देवी के वादपत्र में दर्ज तमाम कथन विरोधाभाषी है विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी टिनेन्सी कि अविभाजित भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त विवादित आराजी के सहरिकार्डेड खातेदार फूलाराम पुत्र जोधाराम ने अपने 1/6 हिस्से की भूमि दिनांक 24.04.2014 को अपने हिस्से कि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी देवी को विक्रय की है उक्त विक्रय पत्र में जोधाराम द्वारा अपने हिस्से की चुर्तसीमा दर्ज नहीं कि है इसे विपरित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र की धारा 7 में तथाकथित रूप से उक्त 1/6 हिस्सा भूमि कि चुर्तसीमा वादपत्र में गलत रूप से दर्ज कर नाजायज व गैरकानूनी रूप से तथाकथित विभाजन का कथन दर्ज किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने वादपत्र में उक्त विवादित आराजी को संयुक्त खातेदारी कि व अविभाजित होना स्वीकार कर वादपत्र प्रस्तुत किया है इसी प्रकार वादपत्र कि धारा 7 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं विवादित आराजी को अविभाजित माना है तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं होना स्वीकारा है चूंकि रेस्पोडेन्ट का वादपत्र विरोधाभाषी कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है उक्त तथ्यों पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं कर एवं न्यायिक विवेक का ईस्तेमाल किये बिना ही प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2019 प्रदान कि जिसकी पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 22.07.2019 को नाजायज व गेरकानूनी रूप से मौके पर वास्तविक भौतिक कब्जे के विपरित खाता विभाजन प्रस्ताव नक्शा विचारण न्यायालय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील भू-प्रबन्ध • सीकर •

में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का ईस्तेमाल किये बिना ही अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03. 2021 प्रदान की है जो कि निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार बिसाउ को विवादित भूमि पर वास्तविक भौतिक कब्जे के आधार पर खातेदारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश प्रदान किया था इसके विपरित तहसीलदार बिसाउ मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये नहीं गये एवं हल्का पटवारी को मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये आदेशित किया गया हल्का पटवारी ने विचारण न्यायालय के आदेश के विपरित मौके पर वास्तविक कब्जे के विपरित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा दिनांक 22.07.2019 तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया हल्का पटवारी द्वारा अन्य सहखातेदारान का विभाजन प्रस्ताव तैयार नही कर विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2021 कि अवहेलना करते हुये मनमर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपीलान्ट किशनलाल विवादित आराजी का सहखातेदार है। अपीलान्ट को विचारण न्यायालय का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2017 को प्रतिवादीगण की तामील हेतू अखबार में ईस्तहार प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये दिनांक 20.06.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अखबार के प्रति प्रस्तुत की गई विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अखबार की प्रति प्रस्तुत होने के बावजूद प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई तामील आदेश प्रदान नहीं किया। विचारण न्यायालय ने नाजायज व गैरकानूनी रूप से करीब 1 वर्ष 10 माह पश्चात दिनांक 23.04.2019 को प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7, 8 व 10, 11 की तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होना एवं बार बार आवाज लगाने के बावजूद का कथन आदेशिका दिनांक 24.04.2019 में प्रतिवादी नम्बर 6, 7, 8 व 10, 11 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश किये जाने के आदेश प्रदान किये परन्तु अपीलान्ट के विरूद्ध कोई एकपक्षीय आदेश प्रदान नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 111 रकबा 3.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111/157 रकबा 0.03 है. जिसमें चाह बना हूआ है खसरा नम्बर 124 रकबा 0.36 है. खसरा नम्बर 125 रकबा 0.44 है., खसरा नम्बर 125/155 रकबा 0.03 है. गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 126 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 1.72 है. कुल किता 7 कुल रकबा 6.69 है. के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/6 हिस्सा भूमि के सहखातेदार फूलाराम से जरिये विक्रय पत्र जमीन क्रय की है उक्त विवादित आराजी चूकि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी काश्तकारी कि अविभाजित भूमि है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त विवादित आराजी में स्ट्रैजर पर्सन होने के कारण उसको उसके हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहिये था इसके विपरित उसने वादपत्र की धारा 7 में तथ्यों के विपरित अपने कब्जे की भूमि बताकर वादपत्र प्रस्तुत किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र विरोधाभाषी कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अपने वादपत्र में गेर मुमकिन कुआ खसरा नम्बर 111/157 के स्थान पर खसरा नम्बर 111/151 खसरा गलत अंकित किया है। उक्त विवादित आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा.9 व विक्रेता फूलाराम पुत्र जोधाराम कि संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। जोधाराम ने अपना 1/6 हिस्सा भूमि जरिये विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 24.04.2014 को विक्रय कर दिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में तथाकथित रूप से अपने 1/6 हिस्से कि भूमि की चुर्तसीमा दर्ज कर वादपत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र कि धारा 7 में दर्ज चर्तुसीमा की भूमि पर कोई भौतिक कब्जा काश्त नहीं है विचारण न्यायालय ने बिना कब्जे की रिपोर्ट लिये बगैर तथाकथित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.2019 के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2021 प्रदान की है इसी प्रकार विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ऐसी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि जिससे यह साबित हो कि उसका 1/6 हिस्सा भूमि पर चर्तुसीमा की भूमि पर कब्जा हो विचारण न्यायालय में उक्त तथ्यों पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। भूमि खसरा नम्बर 111/157 जिसमें कुआ बना हूआ है जो कि अपीलान्ट का बनाया हुआ है तथा भूमि खसरा नम्बर 125/155 रकबा 0.03 है. भूमि गैर मुमकिन रास्ता है उक्त खसरा नम्बर कि भूमि को कानूनन विक्रय नहीं किया जा सकता विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर कानूनी भूल की है ऐसी सुरत मे विचारण न्यायालय कि अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2021 निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी ने अपने वादपत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 को नाजायज व गैर कानूनी रूप से पक्षकार बनाया है विवादित आराजी उनके खातेदारी मे दर्ज नहीं है ना ही रेस्पोडेन्ट 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर • भू-प्रबन्ध

विरूद्ध कोई सिद्धी चाही है। विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। वरवक्त बहस अपीलांट ने फर्द दस्तावेजात के साथ रेस्पोडेन्ट मोहनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली खसरा 180/111 वाके ग्राम ढाणी चारण अ. धारा 188 व 183 लंबित होने के संदर्भ में वाद की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 111, 111/151, 124, 125, 125/155, 126, 127 वाके ग्राम ढाणी चारण का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में वादी मोहनी की ओर से 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार रहा है। अपीलान्ट की विचारण न्यायालय में सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अखबार में तामील जारी की गई है। इसके उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करवाने के लिए आदेश 09 नियम 13 के तहत भी कोई चाराजोही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनौती दी है। शेष प्रतिवादीगण ने प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने पर तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (भू-प्रबन्ध) • सीकर •

किया गया है। अपीलान्ट को प्राथमिक डिक्री की जानकारी एवं वाद की जानकारी 22.09.2019 को होने की स्वीकारोक्ति प्राथमिक डिक्री की अपील के साथ प्रस्तुत अपीलान्ट के धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र से होती है। जब अपीलान्ट को 22.09.2019 को प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, तो अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में लंबित वाद में 22.09.2019 के पश्चात चाराजोही क्यों नहीं की एवं अपीलान्ट ने अंतिम डिक्री की जानकारी क्यों नहीं ली इसका युक्तिसंगत कारण अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2021 के विरूद्ध भी अपील 15 माह के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलान्ट को प्राथमिक डिक्री की जानकारी एवं वाद की जानकारी 22.09.2019 को होने की स्वीकारोक्ति प्राथमिक डिक्री की अपील के साथ प्रस्तुत अपीलान्ट के धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र से होती है। जब अपीलान्ट को 22.09.2019 को प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, तो अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में लंबित वाद में 22.09.2019 के पश्चात चाराजोही क्यों नहीं की एवं अपीलान्ट ने अंतिम डिक्री की जानकारी क्यों नहीं ली इसका युक्तिसंगत कारण अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 10.03.2021 के विरूद्ध भी अपील 15 माह के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 111, 111/151, 124, 125, 125/155, 126, 127 वाके ग्राम ढाणी चारण का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय में वादी मोहनी की ओर से 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार रहा है। अपीलान्ट की विचारण न्यायालय में सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अखबार में तामील जारी की गई है। इसके उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करवाने के लिए आदेश 09 नियम 13 के तहत भी कोई चाराजोही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनौती दी है। शेष प्रतिवादीगण ने प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने पर तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर